र्ष 18 अंक ..
ृष्ठ 20+4=24
टना, शुक्रवार
4 जुलाई 2017
गर संस्करण
ल्य ₹ 4.00

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जा...

दैनिक जागरण

पटना का

हत्थे चढ़ी मुजफ्फरपुर की मेसर्स जेके एक्वा

जासं, पटना : मुजफ्फरपुर के बनारस चौक स्थित मेसर्स जेके एक्वा इंडस्ट्रीज आइएसआइ मार्क का दुरुपयोग कर रही थी। गुरुवार को भारतीय मानक ब्यूरो की टीम की छापेमारी में यह बात सामने आई। कंपनी पैकेटबंद पेयजल पर पर भारतीय मानक ब्यूरो के आइएसआइ मार्क का दुरुपयोग कर रही थी। छापेमारी के दौरान इस फर्म के पास भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित आइएसआइ मार्क पैकेजबंद पेयजल मिला। छापेमारी करने गई टीम की ओर से इन्हें सील किया गया। ब्यूरो के वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख केसीएस बिष्ट के मुताबिक पटना कार्यालय को इस कंपनी के बारे में सूचना मिली थी। अवैध रूप से निर्मित पैकेज बंद पेयजल का नमूना भी सील कर सबूत के तौर पर रख लिया गया है। बीआइएस अधिनियम 1986 के तहत आइएसआइ मार्क के दुरुपयोग का मामला कोर्ट में सत्य पाए जाने पर 50 हजार जुर्माना या उत्पादनकर्ता को एक वर्ष की सजा, या दोनों हो सकती है। भारतीय मानक ब्यूरो गुप्त सूचना के आधार पर इस तरह की लगातार कार्रवाई कर रहा है।